

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 87/2019

1. प्रभू पुत्र रत्या जाति बैरवा निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर।



अपीलांत

बनाम

1. घासी फकीर पुत्र गफूरया
2. करम (हजफ)
3. इकबाल (हजफ)
4. सुल्तान (हजफ)
5. जारद पुत्रान घासी जातियान फकीर मुसलमान निवासीयान मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर। (हजफ)
6. जायद पुत्र कयूम जाति फकीर मुसलमान निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर। (हजफ)
7. तहसीलदार, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पों

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर मलारना डूंगर मु०न० 01/2017 निर्णय दिनांक 20.09.2017 उनवानी प्रभू बनाम घासी बगै०)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांत की ओर से श्री घनश्याम जाट
2. रेस्पों की ओर से श्री आबिद अली

14/21.12.20
अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 21.12.2020

प्रस्तुत अपील अपीलांत की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 01/2017 निर्णय दिनांक 20.09.2017 उनवानी प्रभू बनाम घासी बगै० के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1876 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1877 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मलारना डूंगर, तहसील मलारना डूंगर का वादी खातेदार काश्तकार है एवं वादी का इस भूमि पर भौतिक कब्जा है। वादी जाति से बैरवा है एवं गरीब है। रूपयों की आवश्यकता होने पर वादी ने खसरा नम्बर 1876 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 के यहाँ करीब 8-10 साल पहले रहन रखी थी, जिसे वादी ने वागुजास्त करवा कर कब्जा प्राप्त कर लिया और 4-5 वर्ष से लगातार काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण जाति से मुसलमान है जो वादी की भूमि को येन-केन प्रकारेण हडपना चाहते हैं और वादी को धमकी देते हैं कि तेरी जमीन खाली लगवा कर रहूंगा। प्रतिवादीगण ने वादी के विरुद्ध एक गिरोह बना रखा है जो वादी की भूमि से बेदखलकर जबर्दस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वादी को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 24.02.2009 को जब वादी उक्त





आराजीयात में कृषि कार्य कर रहा था तो एक गिरोह बनाकर लाठी डंडे लेकर वादी के साथ झगडा करने को आ गए एवं वादी से कहा कि वे वादी को इस भूमि को काशत नहीं करने देंगे, भूमि पर खुद कब्जा करेंगे व वादी को बलपूर्वक बेदखल करके रहेंगे। अतः प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काशत व खातेदारी की आराजीयात में कृषि कार्य कर लाभ अर्जित करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किररी प्रकार की कोई मजाहमत व मददखलत पैदा नहीं करे व वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी को निर्विघ्न रूप से उक्त आराजियात को पूर्ववत् सुखपूर्वक काशत करने दे। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वादपत्र खारिज किये जाने से व्यथित हो कर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

1.12.20
पीली प्राधिकारी
ई माफक

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए ध्यान किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकी संख्या 4 का निस्तारण करते समय स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वादी/अपीलांट एवं रेस्पों के बीच में भूमि का हस्तान्तरनीय एवं बेचान धारा 42 आर.टी.एक्ट के विपरीत है परन्तु तनकी संख्या 01 का निस्तारण करते समय इस बात को नजर अन्दाज करते हुए तनकी 01 को अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित कर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2017 के अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अहमियत देकर अहम भूल की है। विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2004 अनरजिस्टर्ड के साथ-साथ धारा 42 आर.टी.ए. के प्रावधानों के विपरीत होने से विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है, ऐसे दस्तावेज पर अपीलांट (वादी) के तर्कों को नजर अन्दाज कर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निस्तारण करते समय मौखिक साक्ष्य एवं राजस्व रिकॉर्ड की साक्ष्य के अनदेखा कर अहम भूल की है। तहत न्यायालय ने कब्जे संबंधी बिन्दु को मात्र कयास के आधार पर निर्णित किया न की साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया। अधिनस्थ अदालत ने तनकी संख्या 3 के निस्तारण करते समय राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य को ध्यान पूर्वक न देखकर निर्णित किया है वादी/अपीलार्थी का कब्जा विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा था, वर्तमान में रिसीवरी में चला आ रहा है, जिसमें रेस्पों ने माने मजाहमत पैदा की जिसके विपरीत वादी/अपीलांट स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। इस तथ्य को नजर अन्दाज कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। रेस्पों की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया गया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज

दिनांक 10.06.2004 बेचान विक्रय पत्र जो मूल में प्रस्तुत किया है वह प्रदर्शित नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था फिर भी उसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने निर्णय मय डिक्री पारित कर अहम भूल की है जो निरस्त की जाकर वादी/अपीलांत के हक में दावा डिक्री किये जाने योग्य है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2004 के प्रथम पृष्ठ पर खसरा नं० 1876 दो जगह अंकित किया है उन दोनों नम्बरों पर ओवर राईटिंग करके ख०नं० 1876 बनाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी रिसीवरी में चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय अन्तिम निर्णय करते समय रिसीवरी के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं किया है केवल मात्र तहसीलदार को धारा 175 राज० काश्त अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की विधि के विरुद्ध आदेश दिये है जिससे पक्षकारान के मध्य कई विवाद उत्पन्न हो सकते है जबकि रिसीवरी के दौरान जमा की गई राशि अपीलार्थी/वादी प्राप्त करने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

12-20
पिसि प्राधिकारी
आई माध्यपुर


रेस्पों के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलांत ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1876 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा ग्राम मलारना डूंगर को दिनांक 10.06.2004 को रू० 12 लाख रूपये में बेच कर उसकी लिखा पढी 100/-रू० के स्टाम्प पर करवाकर अपने हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर 12 लाख रूपए प्राप्त कर एवं कब्जा प्रतिवादी को वाद ग्रस्त खेत का संभला दिया। तब से ही प्रतिवादी उक्त आराजी पर वादी की सहमति से शांति पूर्वक काबिज है। अपीलांत का यह कथन गलत है कि उसने यह जमीन रेस्पों के यहाँ 8-10 साल पहले रहन रखी हो। भूमि खसरा नम्बर 1876 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा पर रेस्पों का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा था। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमायी जावे।

5. उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस व तर्कों पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांत/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के मद नम्बर 2 में कथन किया है कि खसरा नम्बर 1876 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी/रेस्पों सं० 1 के यहाँ करीब 08-10 वर्ष पूर्व रहन रखी थी। पत्रावली पर दिनांक 10.06.2004 का रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक अपंजीकृत दस्तावेज है, जिस पर विक्रय पत्र लिखा हुआ है। इस पर वादी प्रभू के स्वयं के हस्ताक्षर है। प्रभू लाल

द्वारा विवादित आराजी को विक्रय किया जाना व कब्जा दिया जाना लिखित किया है। इस दस्तावेज के कथन के विपरीत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इससे प्रकट होता है कि विवादित को अवैध रूप से हस्तान्तरित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 तनकीवार विश्लेषण कर विधिपूर्वक किया गया है। इस निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. अतः अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, मलारना डूंगर के मु0नं0 01/2017 निर्णय दिनांक 20.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर